न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर ।

अपील संख्या-63/2013

मंगलचन्द पुत्र मखनलाल जाति मीणा निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकरराज0।

-- अपीलान्ट---

---बनाम---

1- रूकमादेवी धर्मपत्नी सुवालाल
2- सुवालाल पुत्र रामदेव
3- बाबूलाल पुत्र सुवालाल
4- लालचन्द पुत्र सुवालाल
5- बिरदू पुत्र सुवालाल
6- राजू पुत्र सुवालाल

जाति जाट निवासी खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर (राज0)

7- पटवारी पटवार हल्का खाटूश्यामजी तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
8- पंजाब नेशनल बैंक शाखा पलसाना तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
9- उप पंजीयक तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।
10-तहसीलदार तहसील दांतारामगढ जिला सीकर ।

--रेस्पोडेन्टस्---

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 20-5-2013 द्वारा उप खण्ड अधिकारी, दांतारामगढ ।

--0--

उपस्थिति-

1-श्री कैलाश सौनी एडवोकेट- अपीलान्ट
2-श्री प्रभातीलाल एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट
3-श्री बजरंगसिंह शेखावत एडवोकेट- रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

निर्णय दिनाक- 29.12.2017

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलान्ट ने योग्य अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि ग्राम खाटूश्यामजी में आराजी ख0नं0 267 रकबा 8x8: 0.51 हैक्टर, ख0नं0 267/3963 रकबा 2.53 हैक्टर, ख0नं0 1073 रकबा 0.47 हैक्टर ख0नं0 1075 रकबा 0.24 कुल किता-4 रकबा 3.75 हैक्टर अवस्थित है । अप्रार्थी सं0 -1 से 6 ने दिनांक 22-6-2005 को पूर्व खातेदार से क्रय कर राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज करवा ली । प्रार्थी उक्त आराजीयात का उत्तरी भाग का सींवा जोड पडोसी है । जिसकी ख0नं0 267/3966 पैत्रिक भूमि है। जिस पर प्रार्थी अपने पिता के जीवनकाल से ही काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है तथा इस आराजी पर पुख्ता आवासीय गुवाडी बनाकर आबाद है । अप्रार्थी सं0-1 से 6 ने राजस्व अधिकारियों से साज कर नक्शा ट्रेस में खसरा नं0 267/3963 की उत्तरी सीमा के पश्चिमी कौने से सावंलपुरा रोड के पास करीब तीन बीघा भूमि पर गलत रूप से ख0नं0 267/3963 बंकन करवा लिया । जबकि यह तीन बीघा भूमि ख0नं0 267/3963 का भाग न हो कर प्रार्थी के खेत खसरा नं0-267/3966 का हिस्सा है। किन्तु गलत अंकन के कारण अप्रार्थी सं0-1 से 6 इस तीन बीघा भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर प्रार्थी का रास्ता अवरूद्ध करने पर आमादा है । तथा प्रार्थी को ऐलानिया धमकी दी है कि वह इस आराजी को दीगर व्यक्तियों को बैचान करेगा। जिसे कोई अधिकार नहीं है ।अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे कि वे उक्त भूमियों को बैचान करने, रहन बैय, नींव सींव नहीं फौडे प्रार्थी के आवागमन में कोई बाधा नहीं डाले । अदालत मातहत ने प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई खारिज कर दिया जिससे क्षुब्ध होकर अपीलान्ट ने यह अपील निम्न आधारो पर प्रस्तुत की है ।

योग्य अदालत मातहत का निर्णय खिलाफ कानून एवं पत्रावली है । अपीलान्ट ने उक्त दावा एवं प्रार्थना पत्र में ख0नं0 267/3966 के अन्य खातेदारान को पक्षकारान बनाये जाने का प्रार्थना पत्र पेश कर रखा था । जिसका निर्णय पहले कर बाद में प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का निर्णय किया जाना था । किन्तु

अदालत मातहत ने आवेदन अन्तर्गत आदेश-। नियम-10 सीपीसी का मूल आवेदन के साथ निर्णय कर विधिक प्रावधानों की अनदेखी कर निर्णय पारित किया है । अदालत मातहत ने अपना निर्णय बेहद ज.दबाजी में किया गया है। प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी सं0- 7 व 8 की तलबी ही नहीं हुई । इस प्रकार दुषित कार्यवाही के आधार पर कोई भी निर्णय स्थिर रहने योग्य नहीं रहता है । रेस्पोडेन्ट संख्या-। से 6 ने उक्त आराजी का बैयान कर दिया किन्तु क्रेताओं का कोई विवरण अपने जबाब प्रार्थना पत्र में पेश नहीं किया। अन्यथा उनको पक्षकार बनाकर अग्रिम कार्यवाही की जानी अपेक्षित थी । उक्त आराजी के क्रेता प्रकरण में आवश्यक पक्षकार थे। जिनको पक्षकार बनाकर ही न्यायालय को आदेश पारित किया जाना चाहिये था । जबकि न्यायालय को भी विवाद का अन्तिम निर्णय एवं सम्यक निस्तारण के लिये आवश्यक पक्षकारों को किसी भी समय सोवोमोटो ही पक्षकार बनाया जा सकता था । किन्तु अदालत मातहत ने इस ओर कोई गोर न कर जब अप्रार्थी सं0-। से 6 ने आराजी का बैयान ही कर दिया तो उनका प्रकरण में कोई महत्व नहीं रह जाता। जिनको सुनकर निर्णय पारित किया है जो विधि के विपरित है ।अपीलान्ट की भूमि कम हुई है तथा अप्रार्थीगण के दर्ज हो गई । इस कारण ऐसे प्रकरण में रेकार्डेड खातेदार काश्तकार को भी अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जा सकता है । किन्तु अदालत मातहत ने इन तथ्यों पर कोई गौर न कर अपना निर्णय दिया है ।अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय निरस्त कर प्रार्थी/अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पोडेन्ट को जरिये नोटिस तलब किया गया । अदालत मातहत की पत्रावली मंगाई जाकर शामिल पत्रावली की गई ।बहस विद्वान अभिभाषकगण सुनी गई ।

बहस बगौर समाहत की गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया । नकल जमाबन्दी सं0-2067-2070 में ख0नं0 267, 267/3963, 1073, 1075 कुल किता-4 रकबा 3.7500 हैक्टर की खातेदारी रेस्पोडेन्ट संख्या-। के नाम दर्ज है। ख0ख0 जमाबन्दी सं0-2063 से 2066 में ख0नं0 267/3966 रकबा 3.7900 हैक्टर की

मक्खन पुत्र बालु मीणा के नाम दर्ज है । नामा0सं0 1476 से मक्खन के फौत होने पर विरासत के आधार पर छीतरमल, मंगलचन्द पि0 मक्खनराम, माया पुत्री मक्खनराम के नाम दर्ज है । मुताबिक जमाबन्दी ख0नं0 267/3966 के अन्य खातेदार भी है । किन्तु यह प्रार्थना पत्र एवं दावा केवल अपीलान्ट ने पेश किया है । इस बिन्दू पर विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने जोर देते हुये कथन किया कि अपीलान्ट अकेला न तो दावा ला सकता है और न ही अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र पेश कर सकता है । साथ ही रेस्पोडेन्ट ने यह भी कथन किया कि मैं विवादित आराजी की अकेली रेकार्डेड खातेदार हूँ मुझे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द नहीं किया जा सकता। इस बाबत राजस्व रेकार्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं0-1 विवादित आराजी की रेकार्डेड खातेदार काश्तकार है और प्रथम दृष्टया मामला अपीलान्ट का न होकर रेस्पोडेन्ट का है । रेकार्डेड खातेदार एवं काबिज काश्तकार होने से सुविधा का सन्तुलन भी रेस्पोडेन्ट का ही। यदि अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है तो अपूर्ति क्षति भी रेस्पोडेन्ट को ही है । अदालत मातहत ने अपने निर्णय में सभी तथ्यों पर विचार कर अपना निर्णय दिया है । जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक भूल नहीं है ।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान उप खण्ड अधिकारी दांतारामगढ का निर्णय दिनांक 20-5-2013 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 29.5.2017 को सुनाया गया ।

(भंवरलाल सहरड़ा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर